न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः कमला पति-I, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6168)

UPAZ010049442026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2055/2026

मोहम्मद अजीम उम्र लगभग 31 वर्ष, पुत्र मोहम्मद नोमान खान, निवासी ग्राम व पोस्ट अंजान शहीद, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010051012026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2108/2026

संतोष कुमार भाष्कर उम्र लगभग 44 वर्ष, पुत्र दिलव, निवासी जमुआ हरीराम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010051002026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2125/2026

अक्षय कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष, पुत्र रामबेलास, निवासी छत्तरपुर दलेल, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010051112026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2129/2026

झिनक उर्फ बृजभूषण उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्र इनरू राम, निवासी रानीपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010050962026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2130/2026

नदीम उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र समीम, निवासी ग्राम व पोस्ट अंजान शहीद, थाना जीयनपुर,

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.06.01 13:07:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी/अभियोगी।

<u>दिनांक- 01.06.2026</u>

1- प्रस्तुत सभी जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदकगण/अभियुक्तगण **मोहम्मद अजीम, संतोष कुमार भाष्कर, अक्षय कुमार, झिनक उर्फ बृजभूषण तथा नदीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**220/2026** अन्तर्गत धारा-**3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बी.एन.एस.,** थाना **जीयनपुर**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पृथक-पृथक प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध है।

2- उक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना व एक ही मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित है, जिस कारण इनका निस्तारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

3- जमानत प्रार्थना पत्रों के समर्थन में क्रमशः असफर, पांचूराम, श्रवण कुमार, छत्रपाल गौतम, मोहम्मद अशफर द्वारा शपथ पत्र इस आशय का दिया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्रों में वर्णित समस्त कथन उनकी निजी जानकारी में सही व सच है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महेन्द्रनाथ उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि वादी मुकदमा वर्तमान समय में तहसील सगड़ी में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत है तथा वह त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित विकास खण्ड अजमतगढ़ के पाण्डुलिपि कार्य हेतु नामित था। शिकायतकर्ता सुबहान द्वारा मतदाता सूची में फर्जी नामों को हटाये या बढ़ाये जाने के संबंध में की गयी शिकायत पर दिनांक 14.05.2026 को उपजिलाधिकारी सगड़ी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अजमतगढ़ तथा नायब तहसीलदार अजमतगढ़ की अध्यक्षता में टीम गठित की गयी, जिसकी जांच आख्या दिनांक 15.05.2026 को प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि ब्लाक द्वारा पाण्डुलिपि जमा करने हेतु लगाये गये कर्मचारी सन्तोष भाष्कर द्वारा मूल सही पाण्डुलिपि के साथ संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किये हुये फर्जी पाण्डुलिपि जो ग्राम अन्जान शहीद वार्ड नम्बर 10-15 से संबंधित थी, जिसमें मतदाताओं परिवर्धन-(62) विलोपन(42) (संलग्नक) थे, को सम्मलित कर दिया गया। उक्त कर्मचारी सन्तोष भाष्कर, विकास खण्ड अजमतगढ़ से पंचायत चुनाव की पाण्डुलिपि विकास खण्ड कार्यालय से एकत्र कर तहसील कार्यालय सगड़ी में मेरे पटल पर ले आते थे। संतोष कुमार सफाई कर्मी से आज जब वादी ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे द्वारा ग्राम प्रधान मो० अजीम, प्रधान सहयोगी नदीम तथा दो दलाल झीनक व अक्षय कुमार के प्रभाव में आकर अन्य पाण्डुलिपि के साथ फर्जी पाण्डुलिपि भी जमा कर दी गयी, जिसमें बीएलओ (सुजीत कुमार), सुपरवाइजर (मंगलदेव द्विवेदी) तथा खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी सगड़ी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया। उक्त बेईमानी पूर्ण आचरण करते हुए अवैध लाभ पाने के लिये सन्तोष भाष्कर द्वारा ग्राम प्रधान अन्जान शहीद मो० अजीम व झीनक, अक्षय कुमार के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया, जिससे शासकीय क्षति हुई। सन्तोष भाष्कर व अन्य द्वारा धोखा देकर पाण्डुलिपि को सही सूची में शामिल करते हुए फर्जी मतदाताओं परिवर्धन

(62) विलोपन (42) के माध्यम से मतदाता सूची में हेर-फेर किया गया जिस हेतु संतोष भाष्कर पूर्ण रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

5- आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं, रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आरोपित अपराध प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। आवेदकगण विवेचना में सहयोग करेंगे। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मतदाता सूची में नाम परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का कार्य चुनाव आयोग की एक प्रबन्धन कमेटी द्वारा किया जाता है, जो कि चुनाव आयोग के नियमों एवं शर्तों के अनुक्रम में होता है, सर्व प्रथम बी.एल.ओ. मतदाता सूचना में नाम परिवर्तन व परिवर्धन की सूचना अपने पर्यवेक्षक, ए.डी.ओ. पंचायत, बी.डी.ओ., उपजिला मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है, ऐसे में सारी प्रक्रियाएं सरकारी तन्त्रों द्वारा पूरी होती है और सारे प्रपत्रों का सत्यापन हर सोपानों से होता है, पूरी घटना क्रम में आवेदक मो० अजीम की कोई भूमिका नहीं है। जिन राजपत्रित अधिकारियों का हस्ताक्षर कूट रचित होना बताया गया है उसकी जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है न ही उनका सत्यापन ही किया गया है, मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आवेदक मो० अजीम को अभियुक्त बना दिया गया है। पूरे घटनाक्रम के कथानक से स्पष्ट होता है कि वादी का कथानक अपने आप में संदेहास्पद है तथा अभियोजन कहानी को समर्थन प्रदान करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक संतोष कुमार भाष्कर का कार्य पाण्डुलिपि ब्लाक स्तर से उठाकर तहसील स्तर पर पहुंचाना बताया गया है। ब्लाक स्तर पर पाण्डुलिपि किसी कर्मचारी द्वारा एकत्र कर गिनती कर सुसंगठित कर आवेदक संतोष कुमार भाष्कर को दिया जाना कहा, जिसे जिस रूप में आवेदक को दिया जाता था उसी क्रम में तहसील कर्मचारी को हस्ताक्षरित कर प्राप्त रसीद जो तहसील कर्मचारी द्वारा दी जाती थी को ब्लाक पर जमा कर देता था। आवेदक संतोष कुमार भाष्कर द्वारा किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी या पन्ना बदले का कोई रास्ता आवेदक के पास नहीं है। आवेदक संतोष द्वारा कोई पाण्डुलिपि तैयार नहीं की गयी है न ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर ही फर्जी बनाया गया। बी.एल.ओ. द्वारा तैयार की गयी पाण्डुलिपि ब्लाक, तहसील पर रखी रहती है, जहां पर पर्याप्त छेड़छाड़ हेरा फेरी की संभावना है। आवेदक सबसे छोटा कर्मचारी है। नामों को घटाने बढ़ाने में कोई लाभ आवेदक का नहीं है। आवेदक अक्षय कुमार को दलाल कहा गया है तथा इसके द्वारा किसी छल या कूटरचना का विवरण नहीं दिया गया है। आवेदक अक्षय कुमार न तो कोई दलाल है और न तो कोई कूटरचित पाण्डुलिपि तैयार किया है। आवेदक अक्षय कुमार न तो किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी है न कोई वास्ता सरोकार है। पाण्डुलिपि पर किसका हस्ताक्षर कौन किया है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राजस्व विभाग अपनी गलती से बचने के लिए अभियुक्त बना दिया है। आवेदक का झीनक उर्फ बृजभूषण का नाम अभियुक्त संतोष कुमार के कहने पर प्रकाश में आया है, आवेदक ग्राम अंजान शहीद वार्ड नम्बर 10-15 से संबंधित मतदाताओं परिवर्धन (62) विलोपन (42) की पाण्डुलिपि में फर्जी हस्ताक्षर के लिए दबाव क्यों बनायेगा, जबकि आवेदक न ही वार्ड नम्बर 10-15 ग्रामसभा अंजान शहीद का निवासी है और न ही उस गांव से आवेदक का कोई वास्ता सरोकार है और आवेदक अन्य अभियुक्तगण को जानता तक नहीं है। आवेदकगण संतोष कुमार भाष्कर तथा झीनक उर्फ बृजभूषण क्रमशः दिनांक 17.05.2026 तथा 20.05.2026 से जनपद कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदकगण संतोष

कुमार भाष्कर, झिनक उर्फ बृजभूषण, नदीम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

6- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा शिकायतकर्ता सुबहान के निजी अधिवक्ता** द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्तगण द्वारा अवैध लाभ पाने के उद्देश्य से कूटरचना करते हुए बीएलओ, सुपरवाइजर तथा खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी सगड़ी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी पाण्डुलिपि तैयार की गयी, जो ग्राम अन्जान शहीद वार्ड नम्बर 10-15 से संबंधित थी, जिसमें मतदाताओं परिवर्धन-(62) विलोपन(42) (संलग्नक) थे, जिससे शासकीय क्षति हुई तथा इस फर्जी पाण्डुलिपि को अन्य पाण्डुलिपियों के साथ तहसील कार्यालय सगड़ी में जमा किया गया। उक्त कृत्य उपजिलाधिकारी सगढ़ी द्वारा गठित जांच टीम से स्पष्ट हुआ है। अभियुक्त संतोष कुमार ने बताया है कि उसने द्वारा ग्राम प्रधान मो. अजीम, नदीम, झिनक, अच्छे कुमार के प्रभाव में आकर अन्य पांडुलिपि के साथ फर्जी पांडुलिपि भी जमा कर दी गयी जिसमें फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये थे। उक्त कृत्य अवैध लाभ पाने के उद्देश्य से किया गया। अभियुक्त अजीम का परिवार इस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त भिवंडी मुंबई में भी मतदाता के रूप में दर्ज था तथा वहां भी 2026 के चुनाव में वोट डाला था। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में लाभ पाने के लिए उनके द्वारा पाण्डुलिपि में फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा परिवर्धन व विलोपन कराया गया है। अभियुक्त अजीम के विरूद्ध तीन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास न होने मात्र से अपराध की गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा ग्राम अन्जान शहीद वार्ड नम्बर 10-15 से संबंधित पाण्डुलिपि जिसमें परिवर्धन-(62) विलोपन(42) नाम थे, पर बी.एल.ओ. सुजीत कुमार, सुपरवाइजर मंगल देव द्विवेदी, खंड विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसे सहअभियुक्त संतोष कुमार भाष्कर द्वारा विकास खंड कार्यालय से लाकर तहसील कार्यालय सगड़ी में वादी के पटल पर लाकर जमा कर दिया गया। उक्त कृत्य अवैध लाभ पाने के लिए संतोष कुमार भाष्कर द्वारा ग्राम प्रधान अंजान शहीद मो. अजीम, नदीम, दो दलाल अक्षय कुमार, झिनक के साथ मिलकर किया गया जिससे ममतदाता सूची में हेर-फेर किया गया।

8- केस डायरी के अवलोकन से पाया जाता है कि निर्वाचन से संबंधित पाण्डुलिपि एक सरकारी दस्तावेज है जो सरकारी कर्मचारियों के अभिरक्षा में रहता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मो. अजीम, नदीम, अक्षय कुमार, झिनक किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त संतोष कुमार भाष्कर को चपरासी बताया गया है तथा उसके द्वारा पाण्डुलिपि को विकास खंड कार्यालय से

तहसील कार्यालय में लाकर जमा किया जाना कहा गया है, किन्तु उक्त संतोष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि ब्लाक स्तर पर पाण्डुलिपि संगठित कर प्रार्थी/अभियुक्त को जिस रूप में प्राप्त करायी जाती थी, उसे उसी क्रम में तहसील कर्मचारी को प्राप्त कराकर हस्ताक्षरित रसीद ब्लाक पर जमा कर दी जाती थी। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जांच समिति की रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया निर्वाचन पाण्डुलिपि पर फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने का कथन किया गया है और संबंधित बी.एल.ओ., सुपरवाइजर, खंड विकास अधिकारी द्वारा अपने बयान में उक्त पाण्डुलिपि पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने का कथन किया है, किन्तु संपूर्ण केस डायरी के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि निर्वाचन पाण्डुलिपि पर फर्जी हस्ताक्षर किसके द्वारा बनाये गये। उक्त निर्वाचन पाण्डुलिपि ब्लाक कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय में अनेक कर्मचारियों की अभिरक्षा में रही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मात्र संभावना के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गयी है किन्तु प्रकरण में उनकी संलिपत्ता के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य इस स्तर पर विद्यमान नहीं है और न ही उनके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य ही संकलित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण संतोष कुमार भाष्कर, अक्षय कुमार, नदीम इस प्रकरण में दिनांक 17.05.2026 से, अभियुक्त मो. आजिम दिनांक 18.05.2026 से, अभियुक्त झिनक उर्फ बृजभूषण दिनांक 20.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। संबंधित थाने द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण संतोष कुमार भाष्कर, झिनक उर्फ बृजभूषण, नदीम का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे यह विदित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत साक्षियों को प्रभावित किया जायेगा। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदकगण/अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मोहम्मद अजीम, संतोष कुमार भाष्कर, अक्षय कुमार, झिनक उर्फ बृजभूषण तथा नदीम** की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किये जाते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग **1,00,000/-**(एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति बीमारी इत्यादि में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेंगे तथा साक्षियों से प्रतिपरीक्षा पर कोई स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देंगें।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा। आदेश की एक-एक प्रति उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्रों में रखी एवं पढी जाये।

<u>दिनांक-01.06.2026</u> **(कमला पति-I)**

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

आजमगढ़।